न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़ महोबा।

मु0नं0–232/2018

सरकार बनाम मधुविकांत राजपूत आदि।

मु0अ0सं0–105/18
धारा–452,323,504 भा0दं0सं0
थाना–कुलपहाड़, जिला महोबा।

आरोप

मै, सचिन मौर्या सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़ महोबा अभियुक्तगण मधुविक्रान्त एवं अजय राजपूत को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅः–

1– यह कि दिनांक–22.01.2018 समय 4.00 बजे घटनास्थल ग्राम सुंगिरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा में आप लोगों ने वादी मुकदमा के छोटे भाई सियाराम सोनी के घर के अन्दर घुसकर गृह अतिचार किया जो कि धारा–452 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान के अंतर्गत है।

2– यह कि उपरोक्त घटना दिनॉक, समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को मारा पीटा जिससे उसे साधारण उपहति कारित हुई। इस प्रकार आपका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त घटना दिनॉक, समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को गाली–गलौज करके अपमानित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा–504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक–07.03.2019

(सचिन मौर्या)
सिविल जज (जू0डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़ महोबा।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया।

अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक–07.03.2019

(सचिन मौर्या)
सिविल जज (जू0डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़ महोबा।